



U; k; ky;

I gk; d dyDVj@mi [k.M vf/kdkjh

xk;kekykuh&ckMej

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2015/00087

दर्ज तिथि:-15.07.2015

1. रूपाराम पुत्र डालुराम
जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....वादी

cuke

1. पूनमाराम पुत्र डालुराम फौत के कायम मुकाम
1/1 जेठाराम पुत्र पूनमाराम
1/2 मोटाराम पुत्र पूनमाराम
1/3 पनी पत्नी पूनमाराम
2. जोगाराम पुत्र डालूराम के कायम मुकाम
2/1 मगाराम पुत्र जोगाराम
2/2 नारायण पुत्र जोगाराम
2/3 चिमाराम पुत्र जोगाराम
2/4 अणछी पत्नी जोगाराम
3. खेमाराम पुत्र डालूराम
4. खेताराम पुत्र पदमाराम
5. तिलोकाराम पुत्र पदमाराम
6. भूराराम पुत्र पदमाराम
7. माडूदेवी पत्नी पदमाराम
जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादी

8. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जोगराज पोटलिया

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



&%U.k: %&

निर्णय तिथि:-21.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 454 रकबा 25-10 बीघा, 475 रकबा 25-07 बीघा मौजा बाण्ड पटवार हल्का बाण्ड, खसरा संख्या 310 रकबा 2-12 बीघा, 312 रकबा 30-05 बीघा मौजा लाला की बेरी, खसरा संख्या 505 रकबा 26-18 बीघा मौजा खडियाली नाडी, खसरा संख्या 121 रकबा 121 रकबा 02-06 बीघा मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2024 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की गई थी। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2024 को जारी निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2024 को अपास्त करते हुए पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।
4. तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 02.04.2025 को पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.

ए./2025/416 दिनांक 30.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/416 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 01.05.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1069-82 दिनांक 21.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1069-82 दिनांक 21.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 454 रकबा 25-10 बीघा, 475 रकबा 25-07 बीघा मौजा बाण्ड पटवार हल्का बाण्ड, खसरा संख्या 310 रकबा 2-12 बीघा, 312 रकबा 30-05 बीघा मौजा लाला की बेरी, खसरा संख्या 505 रकबा 26-18 बीघा मौजा खडियाली नाडी, खसरा संख्या 121 रकबा 121 रकबा 02-06 बीघा मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से

सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 454 रकबा 25-10 बीघा, 475 रकबा 25-07 बीघा मौजा बाण्ड पटवार हल्का बाण्ड, खसरा संख्या 310 रकबा 2-12 बीघा, 312 रकबा 30-05 बीघा मौजा लाला की बेरी, खसरा संख्या 505 रकबा 26-18 बीघा मौजा खडियाली नाडी, खसरा संख्या 121 रकबा 121 रकबा 02-06 बीघा मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रूपाराम पुत्र डालूराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	लाला की बेरी बाण्ड धीमजी	312 454	1.2121 2.3189	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.5310 है0				
खेमाराम पुत्र डालूराम हि0 1/4	बाण्ड	475	4.1035	बा0दो0
खेता पुत्र पदमा हि0 1/20	लाला की	310	0.4209	बा0दो0
तिलोका पुत्र पदमा हि0 1/20	बेरी	312	1.2121	बा0दो0

बाबू पुत्र पदमा हि0 1/20		312	2.4244	बा0दो0
भूरा पुत्र पदमा हि0 1/20	बाण्ड धीमजी	454	1.8089	बा0दो0
माडूदेवी पत्नी पदमा हि0 1/20	खडियाली	505	4.3544	बा0दो0
चिमनाराम पुत्र जोगाराम हि0 1/16	नाडी			
नारणाराम पुत्र जोगाराम हि0 1/16	राणासर खुर्द	121	0.3723	बा0सो0
मगाराम पुत्र जोगाराम हि0 1/16				
अणसीदेवी पत्नी जोगाराम हि0 1/16				
जेठाराम पुत्र पूनमाराम हि0 1/12				
मोटाराम पुत्र पूनमाराम हि0 1/12				
पनीदेवी पत्नी पूनमाराम हि0 1/12				
जाति जाट सा0 देह खातेदार				
कुल किता 07 रकबा 14.6965 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

गुढा मालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



U; k; ky;

I gk; d dyDVj@mi [k.M vf/kdkjh

xk;kekykuh&ckMej

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2015/00087

दर्ज तिथि:-15.07.2015

1. रूपाराम पुत्र डालुराम
जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....वादी

cuke

1. पूनमाराम पुत्र डालुराम फौत के कायम मुकाम
1/1 जेठाराम पुत्र पूनमाराम
1/2 मोटाराम पुत्र पूनमाराम
1/3 पनी पत्नी पूनमाराम
2. जोगाराम पुत्र डालूराम के कायम मुकाम
2/1 मगाराम पुत्र जोगाराम
2/2 नारायण पुत्र जोगाराम
2/3 चिमाराम पुत्र जोगाराम
2/4 अणछी पत्नी जोगाराम
3. खेमाराम पुत्र डालूराम
4. खेताराम पुत्र पदमाराम
5. तिलोकाराम पुत्र पदमाराम
6. भूराराम पुत्र पदमाराम
7. माडूदेवी पत्नी पदमाराम
जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादी

8. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जोगराज पोटलिया

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

&%i pkl fMØh%&

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 454 रकबा 25-10 बीघा, 475 रकबा 25-07 बीघा मौजा बाण्ड पटवार हल्का बाण्ड, खसरा संख्या 310 रकबा 2-12 बीघा, 312 रकबा 30-05 बीघा मौजा लाला की बेरी, खसरा संख्या 505 रकबा 26-18 बीघा मौजा खडियाली नाडी, खसरा संख्या 121 रकबा 121 रकबा 02-06 बीघा मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रूपाराम पुत्र डालूराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	लाला की बेरी बाण्ड धीमजी	312 454	1.2121 2.3189	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.5310 है0				
खेमराम पुत्र डालूराम हि0 1/4 खेता पुत्र पदमा हि0 1/20 तिलोका पुत्र पदमा हि0 1/20 बाबू पुत्र पदमा हि0 1/20 भूरा पुत्र पदमा हि0 1/20 माडूदेवी पत्नी पदमा हि0 1/20 चिमनाराम पुत्र जोगाराम हि0 1/16 नारणाराम पुत्र जोगाराम हि0 1/16 मगाराम पुत्र जोगाराम हि0 1/16 अणसीदेवी पत्नी जोगाराम हि0 1/16 जेठाराम पुत्र पूनमाराम हि0 1/12 मोटाराम पुत्र पूनमाराम हि0 1/12 पनीदेवी पत्नी पूनमाराम हि0 1/12 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बाण्ड लाला की बेरी बाण्ड धीमजी खडियाली नाडी राणासर खुर्द	475 310 312 312 454 505 121	4.1035 0.4209 1.2121 2.4244 1.8089 4.3544 0.3723	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 07 रकबा 14.6965 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में
रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा
अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं
मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

